(1)

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP28847690881727W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP28847690881727W
Certificate Issued Date	:	29-Jul-2024 07:12 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14337004/ AZAMGARH SADAR/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14337004543450241099 49W
Purchased by	:	SARVESH KUMAR SHUKLA SO YOGENDRA KUMAR SHUKLA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SARVESH KUMAR SHUKLA SO YOGENDRA KUMAR SHUKLA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SARVESH KUMAR SHUKLA SO YOGENDRA KUMAR SHUKLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,450 (One Thousand Four Hundred And Fifty only)

(2)

Signature
ACC Name-OM PRAKASH PATHAK
ACC Code-UP14337004
ACC Address-Civil Court,Azamgarh
Mob.No -7398464845,L.No.-84
Tehsil & Dist. Sadar Azamgarh

E-Stamp Locked
उप निबन्धक सदर आजमगढ़

Please write or type below this line

सर्वेश कुमार शुक्ला

QE 0002787417

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ट्रस्ट का नाम : माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता : ग्राम- सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ (उ0प्र0) भारत वर्ष।

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 29.08.25 को आज़मगढ़ में **श्री सर्वेश कुमार शुक्ला पुत्र योगेन्द्र कुमार शुक्ला** निवासी ग्राम- सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया 5000/-रू0 (पाँच हजार रूपये मात्र) की राशि है, जिसे वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योंकि यह ट्रस्ट माता **प्रसाद सेवा ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकरण, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/-रूपया (पाँच हजार रू0) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम- **सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर**, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0 होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान होने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

ट्रस्ट का नाम : माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता : ग्राम- सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ (उ0प्र0) भारत वर्ष।

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

1- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

2- ट्रस्ट का उद्देश्य : ट्रस्ट का निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. ट्रस्ट द्वारा युवा, महिला, विद्यार्थी व किसानों सहित सभी जाति वर्गो, सम्प्रदाय के लोगों के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रदेश व जिले स्तर की कमेटियाँ गठित कर उन्हें सहायता प्रदान की जायेगी तथा यथासम्भव ट्रस्ट उन्हें आवश्कतानुसार कानूनी सहयोग उपलब्ध करायेगी।

2. ट्रस्ट द्वारा सम्पूर्ण भारत के सभी प्रदेशों के प्रदेश व जिले स्तर पर कमेटियों का गठन किया जायेगा तथा उसे भंग व गठित करने का अधिकार न्यासकर्ता/प्रवन्धक/मुख्य ट्रस्टी में निहित होता, जो समय-समय पर अपनी कमेटी से विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कर सकेगा।

3. ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग व कैंसर के गरीब मरीजों व कुपोषित व अनाथ बच्चों के इलाज के लिए उचित सुविधा मुहैय्या कराने जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

4. ट्रस्ट द्वारा पूरे भारत वर्ष में युवा स्वाभिमान मंच, महिला स्वाभिमान मंत्र, छात्र/विद्यार्थी स्वाभिमान मंच, किसान स्वाभिमान मंच के नाम से नये प्रकोष्ठों/शाखाओं का गठन करेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति की होगी। शाखाओं की संख्या समय-समय पर बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

5. ट्रस्ट द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करेगी।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

6. विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, जैसे मार्शल आर्ट्स (कराटे, पेन्चक सिलाट, किक बॉक्सिंग, सैम्बो, वुशू, मूए थाई, कुरैश), क्रिकेट, फुटबाल, शूटिंग, तीरंदाजी, बास्केटबाल, कबड्डी, सहित सभी खेलों को कमेटी बनाकर ब्लाक, जिला, मण्डल, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को आयोजित करना तथा लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना।

7. भारतीय संस्कृति परम्परा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित प्रारम्भिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय से लेकर संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, विभिन्न विषयों (साहित्यिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, खगोलीय, भाषा, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, प्राणी, जड़ जंगल, पानी, इत्यादि) पर शोध करना एवं शोध हेतु प्रयोगशालायें आदि स्थापित एवं संचालित करना तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं प्रचार-प्रसार करना, जिसमें भारतीयता, सामाजिकता, स्वदेश प्रेम, समाज सेवा आदि की भावना उत्पन्न हो।

8. Medical College, Engineering College, Deemed University, Open and Distance University स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय, Polytechnic College, I.T.I. College, B.Ed. B.P.E.D. College, M.Ed. College, B.T.C. College, C.B.S.E. Board, I.C.S.E. Board, U.P. Board, & Bombay Arts. Maharasta University, Nursing School, Medical College-cum-Hospital, Hospital, Trauma Centre, Ward-Boy Training College, Law College, Commercial Education से सम्बन्धित College & Nursery, Primary & Junior, Graduate Post Graduate College, इत्यादि अन्य Higher Education Institutes तथा अन्य Technical Institutions, वैज्ञानिक व Research Institutions इत्यादि संचालित करना एवं इनके विकास व शिक्षण-प्रशिक्षण आदि के लिये संसाधनों की व्यवस्था करना तथा अन्य विभागों से जुड़कर इनके द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना, कराना व प्रचार-प्रसार करना व कराना तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी संगठनों से जुड़कर इनके हित में कार्य करना व कराना तथा इनके विकास व कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना तथा इन कार्यो हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0 स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P. T. O.

9. शिशु एवं बालकों को स्कूल से पूर्व शिक्षा देने का कार्य करना। बालक-बालिकाओं में अनुशासनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न करना एवं सह-शिक्षा पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण व शोध आदि संस्थानों की स्थापना व संचालन करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ट्रस्ट से सम्बन्धित सदस्यों, पदाधिकारीगण एवं कर्मचारियों को आर्थिक, चिकित्सकीय आदि प्रकार की सुविधायें प्रदान करना। साथ ही साथ ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों, पदाधिकारीगण एवं कर्मचारियों के परिजनों हेतु पठन-पाठन, रहन-सहन, आर्थिक, शिक्षा हेतु, मकान बनवाने, दुकान की स्थापना करने एवं रोजगार देने हेतु विशेष व्यवस्था एवं मदद करना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

10. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु हास्टल, खेलकूद एवं देशाटन तथा जीम हाउस आदि की व्यवस्था व संचालन करना। शिशु/बालकों/विद्यार्थियों/प्रौढ़ों हेतु के लिये विशेष बौद्धिक शिविर लगाकर विभिन्न ज्वलन्त विषयों की जानकारी देना व प्रशिक्षित करना जिससे समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा हो सके।

11. मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना। पूरे देश में व समाज में समाजवादी सोच एवं समरसता की भावना उत्पन्न करना तथा देश की एकता एवं अखण्डता हेतु विभिन्न एवं राष्ट्रहित के कार्यों का सम्पादन करना एवं कराना।

12. स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें संचालित कराना एवं इनके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, इनकी स्थापना कर इनके लिये कच्चे माल की व्यवस्था करना/कराना और इनके द्वारा तैयार वस्तुओं को बाजार में विक्रय करना/कराना तथा इनके कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

13. क्षेत्र के लोगों में सामाजिक नैतिक, आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना एवं क्षेत्र के बेरोजगारों को प्रशिक्षित कराकर तथा कारीगरों की व्यवस्था करना एवं कराना तथा इनके कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

14. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, कापार्ट, डूडा, सूडा, डी. आर. डी. ए., नाबार्ड, सिफ्सा, डी. आई.सी. व अन्य सरकारी/अर्धसरकारी/गैर सरकारी संस्था/एन.जी.ओ. से जुड़कर या इन्हें अपने साथ जोड़कर इनकी योजनाओं को संचालित करना तथा अपनी योजनाओं के विस्तार हेतु इनके द्वारा संचालित कराना।

15. अनुसूचित जनजाति एवं दलितों के छात्रों/छात्राओं के शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा इनके कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना। अनुसूचित जाति कल्याण आयोग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को विकसित एवं प्रचार-प्रसार करना व कराना एवं इस क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़कर एवं जोड़कर कार्य करना एवं कराना।

16. वृद्धों के लिये वृद्धा आश्रमों, बालकों के लिये संरक्षण गृहों आदि की स्थापना एवं संचालन करना/कराना। वृद्ध/विकलांगों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना तथा शिक्षित-प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना तथा इन्हें कल्याणकारी व रोजगार परक प्रशिक्षण मुहैया कराकर रोजगार की व्यवस्था करना। वृद्ध/विकलांगों के लिये आश्रम, असहायगृह व अनाथालय आदि की स्थापना करना व कराना तथा इनके कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

17. ईसाई/बौद्ध/जैन/मुस्लिम इत्यादि अल्पसंख्यकों एवं विभिन्न धर्मों व ट्रस्टों से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना/कराना तथा इनसे इस हेतु ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

18. असहाय एवं गरीबों हेतु बिना जाति का ध्यान दिये तथा अन्य लोगों के लिये भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना व महिलाओं हेतु हास्टल शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सर्व-धर्म व सम-भाव का विकास करते हुए, सबके लिये कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व समाज को समरसता के मार्ग पर चलकर समाज में जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित करना। इनके कल्याण हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

19. जल शुद्धिकरण परियोजना, वायु प्रदुषण से मुक्ति हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर शोध कार्य कराना व उनका प्रचार-प्रसार कराना तथा जल, थल, वायु, आकाश, मानव, पक्षी, जीव-जन्तु आकाशीय पक्षी, जलीय पक्षी, जलीय जीव-जन्तु, थलीय पक्षी/जीव-जन्तु स्थावर, चल-अचल सभी के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व संवर्धन करना। इनके कल्याण हेतु प्रचार-प्रसार आदि शिविरों का आयोजन करना तथा इन कार्यों हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

20. देश व विदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु अपने ट्रस्ट की शाखा कार्यालय की स्थापना करना व कराना तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जो कि उपरिवर्णित है। उनका स्थापना एवं संचालन करना/कराना। अपने उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु कार्य क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं को सम्बद्ध कर उनके माध्यम से कार्य करना/कराना, तथा इन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना तथा इन कार्यों हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

21. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, मुफ्त कोचिंग सेन्टरों आदि दृश्य व श्रव्य यंत्रों द्वारा शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था एवं विकास करना।

22. बेरोजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों का संचालन जो कि सरकार, राज्य सरकार, आई.डी.बी.आई., सिडबी, लघु उद्योग निगम, नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, आर.बी. आई. एवं विश्व बैंक आदि से संचालित कार्यक्रमों का संचालन व प्रचार-प्रसार व शिविर का आयोजन एवं शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि करना व कराना।

23. परिवार नियोजन पर कार्य करना, इस हेतु विभिन्न स्थानों पर नसबन्दी शिविरों इत्यादि का संचालन करना, टीकाकरण, पल्स पोलियों, हेपेटाइटिस के समस्त स्वरूपों इत्यादि का शिविर

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

लगाकर टीकाकरण कराना तथा अपंगता, कुष्ठ, टी.बी. दमा एवं अन्धता निवारण केन्द्रों की स्थापना करना। नयी-नयी साहय व असाहय विमारी एवं लाइलाज बीमारियों जैसे- एड्स, कैन्सर इत्यादि के बचाव हेतु उपायों को लोगों तक पहुचाना व इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा नित्य उत्पन्न होने वाली नई बीमारियों की जानकारी व इनके रोकथाम की उपाय लोगों को बताना, तथा इन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना।

24. नशा उन्मूलन पर कार्य करना तथा इसके प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करना तथा इस हेतु जगह-जगह नुक्कड़ सभा आदि करना व कराना। मेला प्रदर्शनी, उत्सव, महोत्सव इत्यादि का आयोजन करना/कराना, पशुओं के क्रय-विक्रय का मेला आयोजित करना। नशीली दवा जागरूकता एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना एवं सचल डिस्पेन्सरी व शिविरों व शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था हेतु विभिन्न संस्थाओं से चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

25. जनहित में एन0जी0ओ0 हेल्पलाइनों की स्थापना करना तथा इनके द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना व नागरिकों को उनमें संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों इत्यादि की जानकारी दी जा सके एवं जनता व प्रशासन के बीच सामन्जस्य स्थापित की जा सके। उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की मदद की जा सके।

26. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, लेखों, उपन्यासों आदि का प्रकाशन करना तथा इस हेतु प्रेस इत्यादि स्थापित करना, तथा लाइब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान व साहित्य इत्यादि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना।

27. सूचना के तीव्र आदान-प्रदान हेतु सूचना केन्द्र, इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल, सूचना विज्ञान केन्द्र, गैर सरकारी दूरदर्शन केन्द्र इत्यादि की स्थापना करना। डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं प्रदर्शन व प्रचार-प्रसार करना।

28. छोटे लघु कुटीर, घरेलू उद्योगों, कोल्डस्टोरेज, राइसमिलें, जरी उद्योग इत्यादि की स्थापना कराकर रूरल एरिया में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

29. राष्ट्रहित, समाजहित एवं वैज्ञानिक, शिक्षा, खेल-कूद, ऐतिहासिक या जल, थल और आकाश में इत्यादि किसी भी क्षेत्र में साहसिक कार्य करने वाली प्रतिमाओं को, आदर्श व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को, लेखक इत्यादि को विभिन्न पुरस्कारों से एवं सम्मान पत्रों के माध्यम से सुशोभित एवं सम्मानित करना।

30. श्रम विभाग, बालश्रम उन्मूलन, किशोर न्याय बोर्ड से जुड़कर कार्य करना तथा विशेष टास्क फोर्सों का गठन कर बाल श्रम कराने वाली संस्थाओं, दुकानों इत्यादि में बालश्रमिकों को चिन्हित कर एवं बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर इन्हें शिक्षित करना एवं इनके रोजगार की व्यवस्था करना व इनके लिये बाल श्रमिक विधालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।

31. विशेष टास्क फोर्सों का गठन कर देंह व्यापार होने वाले स्थानों पर/रेड लाइट एरिया में छापा डालकर देंह व्यापार करने वाली महिलाओं को मुक्त कराना एवं इनके कल्याण हेतु कार्य करना/कराना व शिक्षण-प्रशिक्षण देना एवं इन्हें रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना/कराना एवं इनके रोजगार की व्यवस्था करना एवं इनके स्वास्थ्य की नियमित जांच कराना। इनके बच्चों को उचित शिक्षण-प्रशिक्षण देना व वोकेशनल ट्रेनिंग देना जिससे वह स्वावलम्बी बन सके। मानव अंगों की बिक्री, देंह व्यापार इत्यादि जैसे जघन्य अपराधों एवं घृणित कार्यों का पता लगाना एवं ऐसा करने/कराने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं आदि के प्रति दण्डित कराने का प्रयास करना व रोक लगाना।

32. मानवाधिकार संरक्षण पर कार्य करना तथा मानवाधिकार आयोग से जुड़कर कार्य करना एवं उसके अनुपालन हेतु कटिबद्ध होना।

33. प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य करना तथा राष्ट्र व जनहित में आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करना।

34. विभिन्न छोटे व बड़े औद्योगिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि हस्तियों का संगठन बनाकर ट्रस्ट बोर्ड के रूप में स्थापित करना एवं उनके सहयोग से जनहित में विकास कार्य करना/कराना।

35. सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी, संस्था/विश्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को जिसमें स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों

सर्वेश कुमार शुक्ला

P. T. O.

जैसे- ग्राम्य विकास, शहरी विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति, आदिवासी, कारपोरेट, कपड़ा, रेल, उड्डयन, वाणिज्य, कृषि के विभिन्न आयामों, कृषकों के कल्याण, कान्ट्रेक्टर फर्मिंग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग, खाद्य-रसद एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों, सांस्कृतिक, धार्मिक मामलों, अल्पसंख्यक, वन, मानव संसाधन विकास, खनिज, महिला एवं बाल विकास, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सम्बन्धित, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राकृतिक, प्रदुषण, पेट्रोलियम, नदियों के साफ-सफाई, पर्यावरण, जहाज रानी, सिंचाई, पर्यटन, प्राकृतिक/अप्राकृतिक/ वैकल्पिक/ ऊर्जा बायो गैस/सौर ऊर्जा, सोशल एण्ड ओल्ड एज एण्ड विकलांग, श्रम, लोक निर्माण, बाल पुष्टाहार, सड़क एवं परिवहन, स्टील/लौह, रक्षा, वित एवं गृह इत्यादि समस्त मन्त्रालयों तथा योजना आयोग व समस्त पंचवर्षीय योजनाओं इत्यादि के विषयों पर जनहित में योजना बनाकर वृहद/लघु कार्य करना व कराना।

36. जनहित में ग्राम समाज, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगमों एवं महानगर की बंजर भूमि/नजूल लैण्ड/खाली जमीनों पर इनके माध्यम से दुकान, लघु उद्योग इत्यादि की स्थापना कर संचालित करना।

37. जनहित में आपूर्ति विभाग द्वारा सस्ते गल्ले, चीनी, मिट्टी का तेल व अन्य कार्यक्रमों को संचालित करना।

38. किसी निजी या ट्रस्ट की जमीन को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं/संस्थानों को भूमि-भवन को पट्टे पर देना या दान के स्वरूप लेना या दान के स्वरूप देना जिससे उस पर ऊपरिवर्णित संस्थाओं/संस्थानों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

39. पर्यटन स्थलों का विकास करना। जनहित में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं संचालन करना। फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना। मेधावी छात्रों, डाक्टरों, इंजीनियरों को विदेश पठन-पाठन, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य हेतु भेजना तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

40. बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि दैविक आपदाओं के समय स्वयं के श्रोत से, सरकारी श्रोतों से व अन्य श्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर राहत शिविरों का आयोजन करना एवं हर सम्भव मदद करना।

41. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरण मंच तैयार करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

42. जनहित में सरकारी/अर्धसरकारी/सहकारी/गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा भारत सरकार से ऋण व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं इनसे सम्बद्धता प्राप्त कर जनसंख्या नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यक्रम चलाना तथा सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन करना तथा विभिन्न तरीकों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि के भयावह दुष्परिणाम से अवगत कराना एवं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चलाना तथा इसे जन आन्दोलन का रूप देना।

43. विश्व स्वास्थ्य संगठन, आक्सफेम, यूनिसेफ, ब्रेड फार द वर्ल्ड सेप, फोरेड इत्यादि अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रिय संस्थाओं से सम्बद्धता प्राप्त कर सामयिक शैक्षणिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों को जनहित में संचालित करना।

44. आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, पुष्टाहार योजना, मातृ-शिशु कल्याण योजनाओं तथा कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना। गांवों एवं शहरों में पेयजल व सफाई इत्यादि की व्यवस्था करना/कराना। ऊसर तथा बेकार भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य कराना।

45. विशेष टास्क फोर्सों का गठन कर इनके द्वारा सामूहिक विवाहों का शिविर लगाकर आयोजन करना। दहेज, छुआ-छूत, बाल-विवाह इत्यादि जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना। दहेज पीड़ित व समाज द्वारा पीड़ित महिलाओं को उचित सहयोग व न्याय दिलान का प्रयास करना। समाज के विभिन्न वर्गो से निष्कासित, तलाकशुदा, विधवा निराश्रित

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

महिलाओं, बालक/बालिकाओं के रख-रखाव एवं देख-रेख, शिक्षण-प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था सम्बन्धित कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं को करना/कराना व प्रचार-प्रसार करना/कराना।

46. ड्वाकरा परिवार नियोजन कार्यक्रम टीकाकरण, मद्यनिषेध, लेप्रोसी कार्यक्रम, एड्स बचाव के उपाय, कैंसर तथा साक्षरता इत्यादि के कार्यक्रमों के संचालन करना/कराना।

47. जनहित में ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाना, विशेष रोजगार योजना का संचालन करना/कराना, प्राविधिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना/कराना।

48. सरकारी एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरूप शारीरिक, नेत्रहीन, अस्थि विकलांग, मूकवधीर एवं मानसिक विकलांगों व अन्य तरह के विकलांगों के लिये विशेष विद्यालय के साथ-साथ आवश्यकतानुसार एकीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन का कार्य करना/कराना। निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायता व छात्रवृत्ति की सुविधायें तथा अन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करना/कराना। जिससे वह पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से कर सकें।

49. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, एवं डिजाइनिंग, इन्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, कताई, बुनाई, तकनीकी, शिल्पकला, हस्त शिल्पकला, काष्ठकला, कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, संगीत, नाट्य, वाद्य कला, नृत्य, आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

50. महिला आई0 टी0 आई0, पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवा श्रमों, नारी निकेतनों बाल संरक्षण गृहों सामुदायिक, उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

सर्वेश कुमार श्रीवास्तव

P.T.O.

51. कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबून, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, बिस्कुट, नील, चाय, कागज की कप-प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

52. धार्मिक आयोजन एवं सम्मेलनों तथा श्रीमद्‌भागवत कथा, श्रीराम कथा, जैसे विभिन्न वैदिक कथा आदि कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके जनमानस में सूचिता एवं सौर्हाद तथा धार्मिक भाव जगाने का प्रयास करना तथा उनकों उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना।

53. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओ/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

54. धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोधार कर सकना।

55. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

56. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

57. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृध्दि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्‌देश्य में प्रयोग करना।

58. ट्रस्ट जन समान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवाए वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करना तथा जनहित मे सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निमार्ण मछली पालन, पशु पालन आदि का प्रचार-प्रसार कर सकना।

59. ट्रस्ट केवल बित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

60. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- मेडिकल, इंजीनियर, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0 में प्रवेश की तैयारी एवं देशी एवं विदेशी अन्य भाषाओं की जानकारी देने के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल कालेज एवं प्रवन्धन कालेज आदि खोलना तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

61. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे-सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायर मैन, डीजल एवं मोटर, मकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0, ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे-केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रवन्धन करना। नियमावली के अनुसार क्रिप्टो करेन्सी व सेयर बाजार सम्बन्धित, एस0आई0पी0 सम्बन्धित व विदेशों से पैसा लेन-देन का कार्य भी ट्रस्ट के उत्थान के अनुरूप करना। आवश्यकतानुसार समाज के लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, ई-लाईब्रेरी, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी-सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

62. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता देना।

63. घरेलू ग्रामोंद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों के जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

64. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, संगीत तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

65. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, गाँजा, भांग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा को सेवन करने वालों को उनसे होने वाले बीमारियें के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

66. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना-विभिन्न त्यौहारों जैसे-होली, दीपावली, दशहरा, मुर्हरम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे-शादी, गवना, सालगिरह, जन्मदीन पर होने वाले भोजन, तथा अनाज की अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हे प्रशिक्षित करना।

67. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी-झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

68. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/बैंक की व्यवस्था करना।

69. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

70. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

71. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इससे विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्मिलित है।

72. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

73. साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम हेतु उचित प्रयास कराया जाना व करना।

74. देश-विदेश से चन्दा प्राप्त करना व खर्च करना।

75. सैनिकों के पुर्नवास, कल्याण व उनके आश्रितों के सहयोग हेतु उचित प्रयास करना व कराना।

76. ट्रस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि प्रवचन, यज्ञ इत्यादि करवायेगा।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

-: प्रारम्भिक उपबन्ध :-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक 24.08.2024 से **श्री सर्वेश कुमार शुक्ल** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष **श्री सर्वेश कुमार शुक्ल** द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो **श्री सर्वेश कुमार शुक्ल** की मृत्यु के पश्चात् **उनके बड़े पुत्र** इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगी। यदि ट्रस्टी/अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस नाबालिग हो तो ऐसी स्थिति में ट्रस्टी अध्यक्ष की **पत्नी श्रीमती दीक्षा पाण्डेय,** जब तक कि **श्री सर्वेश कुमार शुक्ल** के वारिस बालिग न हो जाय, तब तक कार्य करेगीं। बालिग होने के पश्चात् स्वतः वह ट्रस्टी/अध्यक्ष की भूमिका में कार्य करना प्रारम्भ कर देगें।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को स्थानान्तरित कर सकते है।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारों की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा, कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता हैं। इस संन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना हैं कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्थ में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

7. यह कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी या अपने द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

-: बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. श्री सर्वेश कुमार शुक्ला पुत्र योगेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी ग्राम- सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0। **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष**

2. श्री योगेन्द्र शुक्ला पुत्र स्व0 माता प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम- सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0। **प्रबन्धक**

3. श्रीमती दीक्षा पाण्डेय पत्नी श्री सर्वेश कुमार शुक्ला निवासिनी ग्राम- सुक्खीपुर, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0। **सदस्य**

4. श्री विपिन यादव पुत्र छट्टू निवासी ग्राम- अमगिलिया, पोस्ट- सुक्खीपुर, तहसील- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़, उ0प्र0। **सदस्य**

5. संजय कुमार यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम- गोपरी, पोस्ट- चाँदपुर, जनपद- अम्बेडकरनगर, उ0प्र0। **सदस्य**

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

-: नियमावली :-

(1) यह कि ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी निर्णय को लेने के पूर्व संस्थापक ट्रस्टी/पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करके अथवा 2/3 बहुमत से ही लेगा।

(2) यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम 11 सदस्य होगें।

(3) यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में शामिल होने हेतु सबसे पहले उसे साधारण सभा का सदस्य होना होगा। तत्पश्चात् बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल होने का सदस्यताशुल्क मु0 5000/- रू0 देना होगा, जो एक बार के लिए ही मान्य होगा, किन्तु वह साधारण सभा का सदस्य रहेगा, जो मुख्य ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर है।

(4) यह कि ट्रस्ट के साधारण सभा का सदस्य बनने हेतु समय-समय पर बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही सदस्यताशुल्क का निर्धारण किया जायेगा।

(5) यह कि ट्रस्ट में अथवा उसके द्वारा चलायी जा रही निकायो/प्रकोष्ठों से जुड़ने व उसके पदाधिकारी बनने हेतु इच्छुक व्यक्ति का साधारण सभा का सदस्य होना आवश्यक होगा।

(6) यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

(7) यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

(8) यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता हैं। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(9) यह कि ट्रस्ट के समस्त नियमों, उपबन्धों को बनाने, घटाने अथवा उससे सम्बन्धित समस्त आवश्यक कार्यवाहियों का एकाधिकार मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष में ही निहित होगा तथा ट्रस्ट से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष में निहित होगा।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

5.बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

1. समान उद्दश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. न्यास उद्दश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाईयों का सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थपना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।

3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियाँ का सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।

4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयाँ गठित करना।

5. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभर्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसकें संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों शोध केन्द्रों, गौशालों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

9. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी, विभागों द्वारा दान, उपहार अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ख़र्च करना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बार्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्कता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रसाशन योजना कर तैयार सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

(5). कार्यक्षेत्र:-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र/सम्पूर्ण भारतवर्ष में होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व की किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष की सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय कर सकता है।

(6). मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओ से युक्त कार्यालय एवं वहाँ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्ति रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं अपनी प्राप्त आय से ही आय का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायित्व होगा।

(7). मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का यह विशेषधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा-निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड आफ ट्रस्टीज के 2/3 न्यासी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ट्रस्ट के भूमि या भवन खरीद या विक्री कर सकता है तथा किराये पर दे सकता है, ले सकता है।

(8). सचिव/उपसचिव की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्ररटी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एव उपसचिव की आवश्यकता पढ़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9). उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन-प्रतिदिन के कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते सुविधाएं कार्य सामाजिक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों की मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेगे। कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनत्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता हैं तथा इन पदों पर नियुक्तिया कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

(10). **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य भी होगे :-

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायित्व ठीक ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(11). **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-**

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष विना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता है।

(12). **प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:-**

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सुविधा के लिए निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार है-

1. ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रंण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्य-कलापों उद्‌देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागो केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निर्देशकों पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट/संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु निर्णायक नियुक्ति कर सकना।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रशासन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(13). **उपप्रबन्धक/उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः-**

1. सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राविकृत करने पर उन अधिकारों कार्यो का पालन करना जों उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(14). **कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः-**

1. ट्रस्टी अध्यक्ष के साथ मिलकर कोषाध्यक्ष सभी वित्तीय लेखा-जोखा और खातों की देख-रेख इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ट्रस्टी अध्यक्ष की अनुमति से बजट की रूप-रेखा तैयार करेगा व सम्पूर्ण विवरण विस्तृत रूप से बैठक में पेश करेगा।

2. सभी खातों का संचालन ट्रस्टी अध्यक्ष ही करेगा, किन्तु लिखित आश्वासन अध्यक्ष महोदय द्वारा मिलने पर कोषाध्यक्ष भी कर सकेगा।

(15). **संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्यः-**

1. ट्रस्टी अध्यक्ष के साथ मिलकर समस्त कार्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार करेगें व दिशा-निर्देश प्रदान करेगें तथा यथासम्भव अन्य संसाधनों द्वारा ट्रस्ट को कोष मुहैय्या कराने की व्यवस्था करेगें, ताकि कार्यक्रमों को सुचारू रूप से गति प्रदान की जा सके। इनका कार्य 3 वर्ष के लिए निर्धारित होगा तथा जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट द्वारा पारित प्रस्ताव पर उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकेगा। संरक्षक सदस्य के नाम की उद्घोषणा मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से विचारण के उपरान्त हर 3 वर्ष पर करता रहेगा।

(16). **बैंक एकाउण्टः-**

1. ट्रस्ट के बैंक खाता अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक व डाकघर में खोला जा सकेगा तथा खाते का संचालन एकल रूप से अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित ट्रस्ट का व्यक्ति करेगा।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

आवेदन सं०: 202400968006442

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 25 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1450 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 220

श्री माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट सुखखीपुर द्वारा
सर्वेश कुमार शुक्ला अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ला
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम व पोस्ट सुखखीपुर तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़

श्री. माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट सुखखीपुर द्वारा सर्वेश कुमार शुक्ला अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय नें दिनाँक
24/08/2024 एवं 04:00:36 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक :फूलपुर
आजमगढ़
24/08/2024

अजीत कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक
24/08/2024

प्रिंट करें

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई/प्रकोष्ठ/शाखा कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(17). विधिक कार्यवाही:-

यह संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है, या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है, तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(18). सम्पत्ति सम्बन्धी:-

1. ट्रस्ट के पास आज की तिथि में कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।
2. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में व सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
3. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेखविलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
4. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मन पुरस्कार स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट पक्ष को कही भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है, किसी भी संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति भाड़ा, क्रय अनुज्ञाप्ति बन्धक पारित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है, ले सकता है।

सर्वेश कुमार शुक्ला

P.T.O.

आवेदन सं०: 202400968006442

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 25 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1 सर्वेश कुमार शुक्ला

श्री माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट सुखखीपुर के द्वारा सर्वेश कुमार शुक्ला , पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ला

निवासी: ग्राम व पोस्ट सुक्खीपुर तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़

व्यवसाय: कृषि

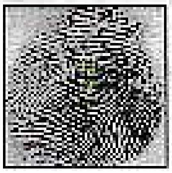

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1 Prafull Kumar

श्री प्रफुल्ल कुमार , पुत्र श्री बनवारी

निवासी: ग्राम व पोस्ट बनवीरपुर जिला आजमगढ़

व्यवसाय: कृषि

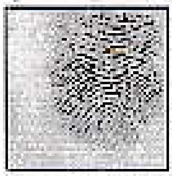

पहचानकर्ता : 2 Mohdossir

श्री मो० मोदस्सिर , पुत्र श्री शाहआलम

निवासी: ग्राम कौड़िया पोस्ट तोवा जिला आजमगढ़

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : फूलपुर
आजमगढ़
24/08/2024

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अजीत कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक आजमगढ़
24/08/2024

प्रिंट करें

(19). **विशेष :-**

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है। परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट **माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट** के उद्देश्यों एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है, तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

2. अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्रविष्टियों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविष्टियों के होते हुये भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। **माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्नहित **माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट** उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित पारित स्वीकृत अनुमोदित एवं तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है कि उक्त न्यास विलेख पढ़कर एवं समझकर प्रभाव में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर बनाया गया।

साक्षीगण :-

नाम :- प्रफुल्ल कुमार पुत्र बनवारी
पता :- ग्रा० व पो० - बनबीरपुर तहसील- निजामाबाद आजमगढ़
मो०- 7068820390
Praful Kumar

नाम :- मो० मोदस्सिर पुत्र शाहआलम
पता :- ग्रा० कैडिमा पो० लोना आजमगढ़
Mo- 7084776535
Moddassir

दिनांक : 24.08.2024

सर्वेश कुमार शुक्ला
सर्वेश कुमार शुक्ला
(ट्रस्टी/अध्यक्ष)
माता प्रसाद सेवा ट्रस्ट

मसविदाकर्ता
Hemant K. Pandey
हेमन्त कुमार पाण्डेय
(अधिवक्ता)
सिविल कोर्ट, आज़मगढ़।
मो0नं0- 9415277306
8299179615

आवेदन सं०: 202400968006442

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 42 के पृष्ठ 397 से 446 तक क्रमांक 25 पर दिनाँक 24/08/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : फूलपुर
आजमगढ़
24/08/2024

प्रिंट करें